[2019] 13 एस.सी.आर. 1127

राहुल जैन बनाम रेव स्कैन प्राइवेट लिमिटेड व अन्य

(सिविल अपील संख्या 7940/2019) नवंबर 08, 2019

[अरुण मिश्रा और एस. रवीन्द्र भट्ट , जे०जे०]

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016–धारा 10 और 30– भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनिमय, 2016– रजि० 38– कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी०आई०आर०पी०) आई०बी०सी० की धारा 10 के तहत कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ प्रक्रिया शुरू की गई थी – अपीलकर्ता कॉर्पोरेट देनदार का समाधान आवेदक था, जिसका परिसमापन मूल्य 36 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था और उक्त राशि के विरूद्ध अपीलकर्ता ने समाधान योजना के संदर्भ में कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित करने के लिए 54 करोड़ की पेशकश की थी। समाधान योजना अपीलकर्ता द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे निर्णायक प्राधिकारी एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत किया गया था। दूसरे प्रतिवादी (असहमत ऋणदाता) ने समाधान योजना को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि उसे उसके स्वीकृत दावे का केवल 32.34% प्रदान किया गया था, जबकि अन्य वित्तीय ऋणदाताओं को उनके स्वीकृत दावों का 45% प्रदान किया गया था और इसलिए यह भेदभावपूर्ण था–एनसीएलएटी ने अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि दूसरे प्रतिवादी के परिसमापन मूल्य के प्रस्ताव में वृद्धि करे – अपील में निर्णीत किया गया, प्रस्तुत मामले में, दूसरे प्रतिवादी को उसके स्वीकृत दावे का 32.34% प्रदान किया गया था क्योंकि उसने योजना से असहमति जताई थी। दूसरी ओर, अन्य वित्तीय लेनदारों को उनके स्वीकृत दावे का 45% प्रदान किया गया था– यह देखते हुए कि समाधान प्रक्रिया संशोधित विनिमय 38 के लागू होने से काफी पहले शुरू हुई थी (वास्तव में, जनवरी, 2017) और समाधान योजना उससे पहले तैयार और अनुमोदित की गई थी, एनसीएलएटी की विस्तृत टिप्पणियाँ जो कि दूसरे प्रतिवादी को अपीलकर्ता के समान भुगतान (अन्य वित्तीय लेनदारों को दी गई पेशकश) के सम्बन्ध में थी, उचित नहीं था– अदालत ने देखा कि कॉर्पोरेट देनदार का परिसमापन मूल्य 36 करोड़ निर्धारित किया गया था – उक्त राशि के विरूद्ध, अपीलकर्ता ने 54 करोड़ की पेशकश की थी, योजना को मंजूरी दे दी गई थी और, असहमत लेनदार (दूसरे प्रतिवादी) की आपत्तियों को छोड़कर, योजना को अंतिम रूप मिल गया था – इन तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एनसीएलएटी के आदेश और निर्देश उचित नहीं थे, परिणामस्वरूप रद्द कर दिया गया – एनसीएलटी का आदेश बहाल किया गया।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया,

1– दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 30 समाधान पेशेवर के कर्तव्यों तथा उनके द्वारा समाधान योजना के परीक्षण करते समय उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों व उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, को प्रावधानित करती है प्रावधान में शामिल निष्पक्षता का सिद्धांत यही है कि योजना तैयार करते समय

परिचालन के ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए प्रावधान करना चाहिए लेनदारों को मूल्य का ध्यान रखना चाहिए, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य से कम नहीं होगा (अर्थात दिवाला बोर्ड) द्वारा निर्धारित, परिसमापन की स्थिति में चुकाने योग्य जैसा कि धारा 53 में वर्णित है। धारा 30(3) समाधान पेशेवरों को समाधान योजना लेनदारों की समिति के समक्ष रखे जाने को प्रावधानित करती है और धारा 30(4) में यह वर्णित है कि अनुमोदन वित्तीय ऋणदाताओं के वोटिंग शेयर के 75% वोट से कम नहीं होगा। [पैरा 11][1134–ए–सी]

2. वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि निस्संदेह, दूसरे प्रतिवादी को उसके स्वीकृत दावे का 32.34% प्रदान किया गया था क्योंकि उसने योजना से असहमति जताई थी। दूसरी तरफ, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को उसके स्वीकृत दावे का 75.63% प्रदान किया गया था; अन्य वित्तीय लेनदारों (इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक) को उनके स्वीकृत दावों का 45% प्रदान किया गया। यह देखते हुए कि संशोधित विनियमन लागू होने (वास्तव में, जनवरी, 2017) से पहले समाधान प्रक्रिया शुरू हो गई थी और समाधान योजना उससे पहले तैयार और अनुमोदित हो गई थी, एनसीएलएटी की विस्तृत टिप्पणियाँ जो कि दूसरे प्रतिवादी को अपीलकर्ता के समान भुगतान (अन्य वित्तीय लेनदारों को दी गई पेशकश) के सम्बन्ध में थी, उचित नहीं था–अदालत ने देखा कि कॉर्पोरेट देनदार का परिसमापन मूल्य 36 करोड़ निर्धारित किया गया था – उक्त राशि के विरूद्ध, अपीलकर्ता ने 54 करोड़ की पेशकश की थी, योजना को मंजूरी दे दी गई थी और, असहमत लेनदार (दूसरे प्रतिवादी) की आपत्तियों को छोड़कर, योजना को अंतिम रूप मिल गया था – इन तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एनसीएलएटी के आदेश और निर्देश उचित नहीं थे, परिणामस्वरूप रद्द कर दिया गया – एनसीएलटी का आदेश बहाल किया गया। (पैरा 13) (1135–A–D)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड और अन्य के रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल, कंपनी अपील (एटी)

(इनसॉल्वेंसी) नंबर 526 ऑफ़ 2018: बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम राहुल जैन बनाम रेव स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य।

बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य, कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 82/2018;
स्विस रिबन्स प्रा० लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 73
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7940/2019 सम्बन्धित राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 17.09.2019 से (कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 745/2018)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्तागण– रामजी श्रीनिवासन, वरिष्ठ अधिवक्ता, राकेश कुमार, सुश्री प्रीति कश्यप, पी.के. सचदेवा, सुश्री सिलोना महापात्रा, सौरभ मिश्रा

प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्तागण –अमित सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, पुलकित देवड़ा, अनूप जैन, उदित किशन गुप्ता, कु० सिल्विन सरमाह, सोहन कुमार,

सक्षम ढींगरा (मैसर्स उदित किशन और एसोसिएट्स), कुणाल टंडन, सुश्री नीति जैन, कुश चतुर्वेदी
न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस० रवीन्द्र भट्ट द्वारा पारित किया गया

1. समाधान आवेदक (इसके बाद "अपीलकर्ता') राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय बोर्ड (इसके बाद "एनसीएलएटी") के निर्णय से व्यथित है, जो कि निर्णायक प्राधिकारी (यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायधिकरण, इसके बाद "एनसीएलटी" या "निर्णायक प्राधिकारी") द्वारा स्वीकार किए गए समाधान योजना को संशोधित करने के निर्देशों के संबंध में है दिवाला एवं सोधन अक्षमता संहिता 2016 ("आईबीसी" या संक्षेप में "कोड") की धारा 10 के तहत मेसर्स रेव स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "कॉर्पोरेट देनदार) के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की गई थी अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधित समाधान योजना को एनसीएलटी द्वारा 17 अक्टूबर, 2018 को मंजूरी दे दी गई थी। दूसरे प्रतिवादी, मेसर्स हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (इसके बाद "वित्तीय ऋणदाता" या "हीरो") ने एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ इस आधार पर अपील की कि वित्तीय ऋणदाताओं के बीच भेदभाव किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के अंतिम आदेश को संशोधित किया। अपीलकर्ता द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि क्या यह निष्कर्ष कि वित्तीय ऋणदाता के साथ भेदभाव किया गया था, जिसके कारण एनसीएलएटी को निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के निर्देशों को संशोधित करना पड़ा, और परिणामस्वरूप समाधान आवेदक पर अधिक वित्तीय बोझ डालना, इन परिस्थितियों में उचित है। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 13 एस.सी.आर.

2. मामले के तथ्य इस प्रकार है कि आईबीसी की धारा 10 के तहत कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सीआईआरपी 25 जनवरी, 2017 शुरू की गई थी। अपीलकर्ता कॉर्पोरेट देनदार का समाधान आवेदक था, जिसका परिसमापन मूल्य 36 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। उक्त राशि के सम्बन्ध में अपीलकर्ता ने समाधान योजना के संदर्भ में कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित करने के लिए 54 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। समाधान योजना को फिर संशोधित किया गया था और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को निर्णायक प्राधिकारी, यानी एनसीएलटी की प्रधान पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस समाधान योजना को वर्तमान अपील के दूसरे प्रतिवादी, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड द्वारा एनसीएलएटी के समक्ष भेदभावपूर्ण बताकर चुनौती दी गयी थी। भेदभाव का आरोप इस आधार पर लगाया गया था कि सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को उनकी दावा राशि का उच्च प्रतिशत प्रदान किया गया था; जबकि हीरो को कम प्रतिशत की अनुमति दी गई थी इसके स्वीकृत दावे का। हीरो, जिसने समाधान योजना से असहमति जताई थी, को उसके स्वीकृत दावे का 32.34% प्रदान किया गया था, जबकि अन्य वित्तीय लेनदारों को उनके स्वीकृत दावों का 45% प्रदान किया गया था। समाधान योजना के टिप्पणी कॉलम से दर्शित होता है कि योजना भारतीय दिवाला और एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 38 के तहत 'रखरखाव परिसमापन मूल्य (एलवी)' पर आधारित थी। यहां संदर्भ असंशोधित विनिमय 38 के अन्तर्गत समाधान योजना के अनिवार्य अन्तरवस्तु से था।

3. एनसीएलएटी ने अपने आक्षेपित आदेश जिसमें एनसीएलटी के निर्देशों को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता को हीरो के ऑफर के परिसमापन मूल्य को बढ़ाने की आवश्यकता बताई, (जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड और अन्य के रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल, कंपनी अपील (ए०टी०) (इनसॉल्वेंसी) नंबर 526/2018: बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम राहुल जैन बनाम रेव स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य ओ.आर.एस. बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य, कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 82/2018 पर आधारित था) और निष्कर्ष दिया कि विनियमन 38 इन मामलों में भेदभावपूर्ण रहा है। तद्नुसार, 5 अक्टूबर, 2018 को एक संशोधन किया गया था, और वित्तीय लेनदारों को देय परिसमापन मूल्य के सम्बन्ध विनिमय 38(1)(सी) के प्रावधान हटा दिया गया था। संशोधित विनिमय पर स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड व अन्य बनाम भारत संघ, 2019 एससीसी ऑनलाइन 73 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किया गया, जिसमें देखा गया कि संशोधन वित्तीय लेनदारों पर भुगतान में प्राथमिकता के साथ–साथ परिचालन लेनदारों के अधिकारों के निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार के सिद्धांत को वैधानिक रूप से शामिल करके परिचालन लेनदारों के अधिकारों को मजबूत करता है। स्विस रिबन (सुप्रा) में यह भी निष्कर्ष दिया गया है कि एनसीएलएटी, अनुमोदित समाधान योजनाओं की व्यवहार्यता एवं स्वीकारिता पर गौर करते समय इस सवाल पर विचार करती रही है कि क्या परिचालन ऋणदाताओं को वित्तीय ऋणदाताओं के समान ही व्यवहार दिया जाता है, और यदि नहीं, तो ऐसी योजनाओं को अस्वीकार कर दिया गया है या संशोधित किया गया है ताकि परिचालन ऋणदाताओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

4. समाधान योजना को मंजूरी देने वाला आदेश, जिसे एनसीएलएटी द्वारा रद्द किया गया, निर्णय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2018 को पारित किया गया था एनसीएलएटी ने माना कि यह आदेश इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि संशोधित विनियमन 38 के संदर्भ में, असहमत वित्तीय ऋणदाता के खिलाफ भेदभाव करते हुए किसी भी समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। एनसीएलएटी ने आगे कहा कि निर्णय प्राधिकारी इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि एनसीएलएटी ने असंशोधित विनियमन 38(1)(सी) को अवैध घोषित कर दिया था, जिसमें असहमत वित्तीय लेनदारों के लिए परिसमापन मूल्य निर्धारित किया गया था। यह माना गया कि, इस मामले में समाधान योजना, जिसे एनसीएलटी के विवादित आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया था, आईबीसी की धारा 30 (2) (ई) के मानकों के अनुरूप नहीं थी, और समान स्थिति सुरक्षित लेनदारों के खिलाफ भेदभावपूर्ण थी।

5. एनसीएलएटी ने आगे कहा कि धारा 30(2)(बी)(11) के तहत, इस तरह का विभेदक व्यवहार केवल बोर्ड द्वारा इस प्रकार से निर्दिष्ट तरीके से किया जाना चाहिए जो कि कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में धारा 53(1) के अनुसार इन लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगा। एनसीएलएटी ने माना कि संशोधित विनिमय 38 अभी भी लागू होगा, और कॉर्पोरेट देनदार निरस्त प्रावधान का लाभ नहीं उठा सकता है। इस तर्क के आलोक में, एनसीएलएटी ने समाधान योजना को भेदभावपूर्ण और आईबीसी की धारा 30(2)(ई) का उल्लंघन माना, और निर्देश दिया

कि सफल समाधान आवेदक एनसीएलएटी के समक्ष अपीलकर्ता को समान उपचार प्रदान करके भेदभाव को दूर करें जैसा कि अन्य समान रूप से स्थित वित्तीय लेनदारों के समान।

6. यह पाया गया कि सफल समाधान आवेदक के संज्ञान में था कि विनिमय 38 को दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 को संशोधित किया गया था। हालांकि जब मामला अनुमोदन के लिए लाया गया तो आवेदक इस तथ्य को निर्णायक प्राधिकारी के ध्यान में लाने में विफल रहा और संशोधित विनिमय 38 के अनुसार समाधान योजना में संशोधन भी नहीं किया। कॉरपोरेट देनदार द्वारा लगाये गये कथित भेदभाव का आधार यह था कि– पहला– विनिमय 37(1) के अन्तर्गत अपनी संपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने की पेशकश करने के लिए एक समाधान योजना की आवश्यकता होती है जो केवल 36 करोड़ के परिसमापन मूल्य के मुकाबले 54 करोड़ की पेशकश से पूरा होता है। दूसरा– विनिमय 38(1)(सी) दिनांक 5 अक्टूबर 2018 के संशोधन से पहले असहमत वित्तीय लेनदारों के परिसमापन मूल्य के रखरखाव के लिए अनिवार्य रूप से प्रावधान करती है। तीसरा– लेनदारों की समिति ने अपनी बैठक में समाधान पेशेवर को वित्तीय लेनदारों के मूल्य के अन्तर पर कानूनी राय लेने का निर्देश दिया। लेनदारों की समिति ने समाधान पेशेवर द्वारा ली गयी राय को यह कहते हुए स्वीकार किया कि असहमत लेनदारों के लिये परिसमापन मूल्य बनाया जाना चाहिए तदनुसार, 12 जनवरी, 2018, 16 फरवरी, 2018 और 5 अक्टूबर, 2018 की अगली संशोधित समाधान योजनाओं में, समाधान आवेदक ने न्यूनतम परिसमापन मूल्य (दावे का प्रतिशत नहीं) की पेशकश की।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामजी श्रीनिवासन द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी०एस०यू० बैंकों की कुल दावा मूल्य और परिसम्पत्तियों में अचल संपत्तियों, संयंत्र और मशीनरी, देनदारों की सुरक्षा, इन्वेंट्री और व्यक्तिगत गारंटी आदि को देखते हुए अधिक हिस्सेदारी होती है। दूसरी ओर एनबीएफसी के पास केवल विशिष्ट संयंत्र और मशीनरी और प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी के सम्बन्ध में सुरक्षा होती है। यह भी तर्क दिया गया कि समाधान योजना पूरी तरह से लागू की गई है और वित्तीय ऋणदाताओं (हीरो को छोड़कर) ने कॉर्पोरेट देनदार को सुरक्षा जारी कर दी है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट देनदार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि धारा 30(2)(बी)(ii) के तहत, समाधान योजना उन वित्तीय लेनदारों के साथ अलग व्यवहार की अनुमति देती है जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं।

8. दूसरे प्रतिवादी–हीरो के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित सिब्बल ने तर्क प्रस्तुत किया कि इस अदालत को विवादित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्विस रिबन की टिप्पणियों और आईबीसी की धारा 30 पर भरोसा करते हुए कहा कि एक विवरण या वर्ग के अंतर्गत आने वाले लेनदारों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह बताया गया कि पीएसयू बैंकों के बकाए को प्राथमिकता दी गई। चूँकि उन सभी को उनके स्वीकृत दावों के 45% का निपटान दिया गया था; हालाँकि, असहमत वित्तीय ऋणदाता (हीरो) को उसके स्वीकृत दावे का 32.34% प्रदान किया गया था जो स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है और आईबीसी की मूल भावना के विपरीत है।

9. श्री सिब्बल ने स्विस रिबन (सुप्रा) में इस अदालत की टिप्पणियों पर भरोसा किया कि:

"72. उपरोक्त विनियम वैधानिक रूप से परिचालन ऋणदाताओं के अधिकारों को और मजबूत करता है तथा निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार के सिद्धांत को शामिल करके वित्तीय ऋणदाताओं पर भुगतान में प्राथमिकता के साथ–साथ परिचालन ऋणदाताओं के अधिकारों को मजबूत करता है।

10. धारा 30, जिस पर उत्तरदाताओं ने भरोसा किया है, और जिसकी व्याख्या एनसीएलएटी द्वारा की गई थी, इस प्रकार है: राहुल जैन बनाम रेव स्कैन्स प्राइवेट। लिमिटेड एवं व अन्य **[एस. रवीन्द्र भट्ट, जे.]**

"30, (1) एक समाधान आवेदक सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार समाधान योजना को समाधान पेशेवर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। (2) समाधान पेशेवर उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की जांच करेगा और यह पुष्टि करेगा कि प्रत्येक समाधान योजना (ए)– बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत के सम्बन्ध में भुगतान अन्य कॉर्पोरेट देनदार के अन्य पुनर्भुगतान से प्राथमिकता के आधार पर प्रावधान करेगा। (बी)– बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से इस प्रकार परिचालन लेनदारों को भुगतान करेगा जो कि धारा 53 के तहत कारपोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी। (सी)–समाधान योजना के अनुमोदन के बाद कारपोरेट देनदान के मामले के प्रबंधन के लिये प्रावधान। (डी)– समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण; (ई)– वर्तमान में लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है; (एफ)– ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। (3) समाधान पेशेवर ऐसी समाधान योजनाओं की मंजूरी के लिए लेनदारों की समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो उप –धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों की पुष्टि करती हैं। (4) लेनदारों की समिति वित्तीय लेनदारों के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत वोट के आधार पर एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है। (5) समाधान आवेदक लेनदारों की समिति की बैठक में भाग ले सकता है जिसमें आवेदक की समाधान योजना पर विचार किया जाता है: बशर्ते कि समाधान आवेदक को लेनदारों की समिति की बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसा समाधान आवेदक वित्तीय ऋणदाता भी है। (6) समाधान पेशेवर लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।"

11. धारा 30 समाधान पेशेवर के कर्तव्यों का वर्णन करती है और किसी समाधान योजना की जांच करते समय उसे कौन–कौन से कदम उठाने होंगे, साथ ही किन बातों पर ध्यान देना होगा। प्रावधान में शामिल निष्पक्षता का सिद्धांत यही है कि योजना तैयार करते समय परिचालन के ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए प्रावधान करना चाहिए लेनदारों को मूल्य का ध्यान रखना चाहिए, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य से कम नहीं होगा (अर्थात दिवाला बोर्ड) द्वारा निर्धारित, परिसमापन की स्थिति में चुकाने योग्य जैसा कि धारा 53 में वर्णित है। धारा 30(3) समाधान पेशेवरों को समाधान योजना लेनदारों की समिति के समक्ष रखे जाने को प्रावधानित करती है और धारा 30(4) में यह वर्णित है कि अनुमोदन वित्तीय ऋणदाताओं के वोटिंग शेयर के 75% वोट से कम नहीं होगा। [पैरा

11][1134–ए–सी] प्रावधान में शामिल निष्पक्षता का सिद्धांत यह है कि योजना में मूल्य को ध्यान में रखते हुए परिचालन लेनदारों के ऋणों के पुनर्भुगतान का प्रावधान किया जाना चाहिए, जो कि बोर्ड (यानी दिवाला बोर्ड) द्वारा निर्धारित भुगतान से कम नहीं होगा। परिसमापन की स्थिति में, धारा 53 में वर्णित है। धारा 30(3) में समाधान पेशेवर को ऋणदाताओं की समिति के समक्ष समाधान योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और धारा 30(4) में कहा गया है कि अनुमोदन कम से कम 75% वोट से होगा। विनियम 38, जैसा कि यह संशोधन और इसके प्रतिस्थापन से पहले था–

"38. समाधान योजना की अनिवार्य सामग्री

(1) एक समाधान योजना धन के विशिष्ट स्रोतों की पहचान करेगी जिसका उपयोग भुगतान करने के लिए किया जाएगा–

(ए) दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत और यह प्रावधानित करेगी कि [दिवालिया समाधान प्रक्रिया लागत उस सीमा तक जिसका भुगतान नहीं किया जाएगा है, भुगतान किया जायेगा] किसी अन्य लेनदार से प्राथमिकता में:

(बी) परिचालन ऋणदाताओं के कारण परिसमापन मूल्य और किसी भी वित्तीय ऋणदाता से प्राथमिकता में ऐसे भुगतान का प्रावधान करना जो किसी भी स्थिति में निर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के बाद तीस दिनों की समाप्ति से पहले किया जाएगा; और

(सी) असहमत वित्तीय लेनदारों के कारण परिसमापन मूल्य और यह प्रावधान करेगा कि ऐसा भुगतान किसी से भी पहले किया जाता है जिसकी वसूली उन वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा की जाती है जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मतदान किया था।"

12. इसके संशोधन के बाद, विनियमन 38 अब इस प्रकार है:

"38. समाधान योजना की अनिवार्य सामग्री–

(1) समाधान योजना के तहत परिचालन ऋणदाताओं को देय राशि भुगतान में वित्तीय ऋणदाताओं की तुलना में प्राथमिकता दी जाए।

(1–ए) एक समाधान योजना में यह विवरण शामिल होगा कि इसमें कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय ऋणदाताओं और परिचालन ऋणदाताओं सहित सभी हितधारकों के हितों से कैसे निपटा है।" राहुल जैन बनाम रेव स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड और व अन्य [एस. रवीन्द्र भट्ट, जे.]

13. वर्तमान मामले में, यह ध्यान देने योग्य है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, हीरो को उसके स्वीकृत दावे का 32.34% प्रदान किया गया था क्योंकि उसने योजना से असहमति जताई थी। दूसरी ओर, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को उसके स्वीकृत दावे का 75.63% प्रदान किया गया था; अन्य वित्तीय लेनदारों (इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक) को उनके स्वीकृत दावों का 45% प्रदान किया गया। यह देखते हुए कि संशोधित विनियमन लागू होने (वास्तव में, जनवरी, 2017) से पहले समाधान प्रक्रिया शुरू हो गई थी और समाधान योजना उस घटना से पहले तैयार और अनुमोदित की गई थी, एनसीएलएटी की व्यापक टिप्पणियों जो कि हीरो को (अन्य वित्तीय लेनदारों को दी गई पेशकश) के समान भुगतान करना, उचित नहीं थी। अदालत ने नोटिस किया कि कॉर्पोरेट देनदार का परिसमापन मूल्य 36

करोड़ आंका गया था। उक्त राशि के विरुद्ध, अपीलकर्ता ने 54 करोड़ की पेशकश की। योजना को मंजूरी दे दी गई और, असहमत लेनदार (यानी हीरो) की आपत्तियों को छोड़कर, योजना को अंतिम रूप मिल गया है। इन कारकों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि एनसीएलएटी के आदेश और निर्देश उचित नहीं थे उन्हें निरस्त किया जाता है एनसीएलटी का आदेश बहाल किया जाता है।

14. उपरोक्त निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। इन परिस्थितियों में खर्चे के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं पारित किया जाता है।

अपील स्वीकार की गई।

Digitally signed by Rakesh Kumar Tiwari
Date: 2023.11.04 16:33:10 IST
Reason: S.C judgment translation
Location: District and Sessions Court, Raebareli